ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

खाता / इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन पत्र / रिपोर्ट / आदेश (राज0पू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

प्रार्थना पत्र क्रमांक	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील	प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
251/25		दामारखेड़ा	कपासन	नन्दलाल पिता नाथु तेली	राज० सरकार
दायर दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या	आदेश	
27/9/25	27/9/25				

आवेदन पत्र	पटवारी रिपोर्ट	गिरदावर रिपोर्ट	तहसीलदार रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कपासन / कपासन विषय :— राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध मे । महोदय, ग्राम तारखेड़ी पटवार हल्का दामारखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-77 .....खाता संख्या 70 .. मे मेरा नाम नन्दराम दर्ज है मुझे नन्दराम के बजाय नन्दलाल दर्ज करना है ..... अतः उक्तानुसार आदेश फरमावें दिनांक	महोदयजी निवेदन है कि ग्राम - तारखेड़ी पटवारी हल्का दामारखेड़ा तहसील कपासन की जमाबन्दी सम्वत् - 2074-77 के खा.नं. 70 मे नन्दराम पिता नाथु तेली सा० दामारखेड़ा दर्ज है जबकि ग्राम तारखेड़ी के खा.नं. 70-210 मे नन्दलाल पिता नाथु तेली सा० दामारखेड़ी दर्ज है एवं दोनों खाता संख्या पासबुक के भी नन्दलाल ही दर्ज है अतः ग्राम का ग्राम तारखेड़ी के खाता-70 मे नन्दराम के बजाय नन्दलाल पिता नाथु दर्ज किया जाना उचित है 16/9/25	महोदयजी निवेदन है कि पटवारी रिपोर्ट व उपखण्ड अधिकारी प्रार्थी नन्दलाल का ग्राम तारखेड़ी के खाता 70 मे नन्दराम के बजाय नन्दलाल पिता नाथु जाना उचित है 17/9/2025	मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार ग्राम तारखेड़ी ..... पटवार हल्का दामारखेड़ा ..... की जमाबन्दी संवत 2074-77 ..... के खाता नम्बर 70 ..... में नन्दलाल का नाम नन्दराम के बजाय नन्दलाल ..... इन्द्राज किया जाने की राजस्व अनुशंषा की जाकर मूल ही प्रत्रावली श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित हैं ।	प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार एवं पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाती हैं । एवं तहसीलदार की अनुशंषा सीमान्त की जाती हैं । एवं तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राज0 पू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अध्यधीन मौजा तारखेड़ी पटवार हल्का दामारखेड़ा तहसील कपासन की जमाबन्दी संवत ..... को खाता संख्या 70 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
हस्ताक्षर प्रार्थीगण	हस्ताक्षर व मोहर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि)
तारखेड़ी	70	नन्दराम पिता नाथु तेली	नन्दलाल पिता नाथु तेली

तहसीलदार कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर कपासन

प्रतिलिपी :— 1. तहसीलदार कपासन 2. प्रार्थी श्री ..... 3. रक्षित प्रत्रावली ।